प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'नौ'

[25/7/2017]

प्रश्न सं. [क. 1966]

तारांकित प्रश्न क्रमांक - 1966
माननीय विधायक - श्री सुन्दरलाल तिवारी
सदन में उत्तर देने का दिनांक - 25.7.17

परिशिष्ट

(3) निधि में जमा रकम, राज्य सरकार के विवेकानुसार निम्नलिखित के लिए उपयोग में लाई जाएगी,—

(क) ऊर्जा, जिसके अंतर्गत विद्युत् ऊर्जा और साथ ही ऊर्जा के अन्य परम्परागत (कन्वेंशनल) तथा अपरम्परागत (नॉन कन्वेंशनल) स्त्रोत भी आते हैं, के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास;

(ख) ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा उपयोग संबंधी दक्षता में सुधार, जिसके अन्तर्गत पारेषण तथा वितरण में होने वाली हानि का कम किया जाना भी आता है;

(ग) अधिकतम दक्षता, निरन्तरता तथा सुरक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से, उन उपस्करों के, जो ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग में लाए जाते हैं, रूपांकन (डिजाइन), सनिर्माण, अनुरक्षण, प्रचालन और सामग्री के बारे में अनुसंधान;

(घ) ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिये, ऊर्जा के स्त्रोतों, जिनके अंतर्गत अस्थायी (नॉन पेरीनियल) स्त्रोत भी आते हैं का सर्वेक्षण;

(ङ) ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम;

(च) उपभोक्ताओं को ऐसी सुविधाओं और सेवाओं का विस्तारित किया जाना जो आवश्यक समझी जाएं;

(छ) विद्युत् साधित्रों तथा उपस्करों और ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने वाले अन्य उपस्करों के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला और परीक्षण सुविधाओं का संस्थापन;

(ज) उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधक प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(झ) ऊर्जा के क्षेत्र में टेक्नोलाजी का अंतरण;

(ञ) विद्युत् संस्थापनों की सुरक्षा से संबंधित कोई प्रयोजन; और

(ट) विद्युत् ऊर्जा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, वितरण या उपयोग के सुधार से संबंधित कोई अन्य ऐसे प्रयोजन जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा में "ऊर्जा" के अंतर्गत ऊर्जा के समस्त परम्परागत और अपरम्परागत रूप आते हैं.

(4) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि या क्या वह प्रयोजन जिसके लिए निधि का उपयोग किया जा रहा है, उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाला प्रयोजन है अथवा नहीं तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा."

अवर सचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल